

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 जनवरी 2013—पौष 15, शक 1934

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2013

क्र. एफ-01-55-2009-दो-ए (3).—मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्र. 46/1974) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, श्रीमती शीला देशपाण्डे, आवंटन अधिकारी, संपदा संचालनालय, भोपाल को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 20 दिसम्बर 2012 से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नगर निगम सीमा क्षेत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मूलचंद वर्मा, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2013

क्र. एफ-01-55-2009-दो-ए (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 5 जनवरी 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मूलचंद वर्मा, उपसचिव।

Bhopal, the 5th January 2013

No. F-1-55-2009-दो-ए (3).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974), the State Government hereby appoints Smt. Sheela Deshpande, Allotment Officer, Directorate of Estates, Bhopal as Competent Authority, with effect from the date 20th December 2012 of her taking over charge for purpose of the said Adhiniyam within the jurisdiction of Municipal Corporation, Bhopal.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MOOLCHAND VERMA, Dy.Secy.